न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस
प्रकरण संख्या–22/2014
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251 ए आरटीए

राजस्व लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार–2018

1. मैनपाल पुत्र जस्सूराम जाति कुम्हार निवासी 10 सीडीआर कुलचन्द तह.टिब्बी।
2. सरस्वती देवी पत्नी मैनपाल जाति कुम्हार निवासी 10 सीडीआर कुलचन्द तह. टिब्बी।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी।

–अप्रार्थी

उपस्थित:– 1. श्री विकास शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय **दिनांक:–15.6.2018**

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए का पेश किया कि प्रार्थी कृषि भूमि के चक नं.10 सीडीआर के प.नं.210/253 मु.नं. 23 कि.नं.23 से 25/0.759 है.प.नं. 210/254 मु.नं. 56 कि.नं.3/.253, खातेदारी दर्ज है। तथा प.नं.210/253 कि.नं. 22/.253,व प.नं. 210/253 मु.नं. 56 कि.नं. 2/.253 प्रार्थी के सगे लालचन्द की थी। घरू बंटवारा के समय पूर्व में लालचन्द की भूमि 2 बीघा के लिए रास्ता प.नं.210/253 के कि.नं.23 से 25 की उतरी सीमा पर पूर्व से पश्चिम 0.013 है. रास्ता कि.नं. 22 में पहुंचने के लिए खुद की भूमि में से प्रार्थी के रास्ता दिया था जो मात्र लालचन्द की भूमि के लिए दिया रास्ता किला नं. 22 से आगे पश्चिम दिशा में किला नं. 21 में नहीं था। नकल जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना–पत्र है।

कालान्तर में प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 2 के नाम से लालचन्द की भूमि को खरीद के समय लालचन्द के पुत्र के नाम से ही खरीद कर ली व भूमि प.नं. 210/253 मु.नं. 23 के.नं. 22/.253 व प.नं. 210/254 मु.नं. 56 के कि.नं. 2/.253 प्रार्थी की पत्नी के नाम खरीदने से अब उक्त रास्ता की आवश्यकता नहीं रही है। व यह रास्ता मात्र प्रार्थी के भाई के लिए ही थी। अत: अब उक्त रास्ता की आवश्यकता नहीं होने से रास्ता निरस्ता होने के योग्य है। प्रार्थना–पत्र पेश कर चक नं. 10 सीडीआर के प.नं. 210/253 मु.नं. 23 कि.नं. 22 से 25 प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 1 के नाम कि.नं. 22 के प्रत्येक किला में से 0.013 है. रास्ता की प्रविष्टी हटाकर भूमि प्रार्थी के खाता में खातेदारी दर्ज की जावे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी यानि तहसीलदार टिब्बी से पत्रांक 233 दिनांक 2.8.2016,स्मरण पत्रांक 162 दिनांक 23.1.2017 तथा पुन: स्मरण पत्रांक 327 व स्पेशल पत्रांक 1 दिनांक 26.11.2017 को पत्र जारी कर रिपोर्ट प्राप्त की गई जो उनके कार्यालय से दिनांक 15.6.2018 से भिजवाई जिसके अनुसार चक नं. 10 सीडीआर के प.नं. 216/253मु.नं. 23 कि.नं. 23 ता 25 में स्वीकृत रास्ता को खारिज करवाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है। धारा 251 ए आरटीए में रास्ते को खारिज किये जाने का प्रावधान नहीं है की भिजवाई।

पत्रावली में तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया,मुताबिक रिपोर्ट 251 ए आरटीए में रास्ता खारिज किये जाने का प्रावधान नहीं। यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 251 ए आरटीए में रास्ता स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है न कि रास्ता खारिज किये जाने का। प्रार्थीगण ने भी अपने प्रार्थना–पत्र में ऐसा कोई ठोस आधार अंकित नहीं किया है कि क्यों रास्ता खारिज किया जावे,क्या प्रार्थीगण को अन्य कोई रास्ता उपलब्ध है,क्या अन्य काश्तकारों को इस रास्ता की आवश्यकता तो नहीं है। क्या स्वीकृत रास्ता निरस्त करने से अन्य काश्तकार रास्ता की मांग तो नहीं करेंगे। इसलिए कोई ठोस आधार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण काबिल खारिज है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में रास्ता निरस्त करने का कोई प्रावधान नहीं होने व व प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में रास्ता निरस्ती बाबत कोई ठोस आधार पेश नहीं किये जाने के आधार पर व तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 15.6.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान ग्राम पंचायत कुलचन्द में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,टिब्बी

Scanned by CamScanner